न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 84/2007

1 सरोज कंवर बेवा राजेन्द्र सिंह।
2 रविराज सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह।
3 रूपेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण केड तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू हाल केड हाउस के सामने चांदपोल बाहर जयपुर।

अपीलांट

बनाम

1 भंवर कंवर बेवा जसवन्त सिंह जाति राजपूत निवासी केड तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू हाल निवासी केड हाउस दाता हाउस के सामने चांदपोल बाहर जयपुर।
2 निजाम पुत्र अल्लादीन शेख।
3 सलीम पुत्र अल्लादीन शेख।
3/1 बानू पत्नी सलीम।
3/2 मोहम्मद फरीयाद पुत्र सलीम।
3/3 सायरा बानो पुत्री सलीम।
3/4 नसीमा पुत्री सलीम।
3/5 साहीद पुत्र सलीम समस्त जाति मुसलमान निवासीगण केड तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
4 मुलसिंह पुत्र बाघसिंह जाति राजपूत निवासी केड तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू हाल निवासी केड हाउस दाता हाउस के सामने चांदपोल बाहर जयपुर।
4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 खिलाफ निर्णय उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी बमुकदमा उनवानी श्रीमती सरोज कंवर
बनाम भंवर कंवर आदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश
9 नियम 13 सीपीसी मुकदमा नम्बर 122/2006
निर्णय दिनांक 18.10.2007

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भगवान सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 26/12/23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 122/2006 में पारित निर्णय दिनांक 18.10.2007 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्टस व शेष रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध तत्कालीन सहायक कलेक्टर मुख्यालय झुन्झुनू की अदालत में एक दावा उनवानी भंवर कंवर बनाम सरोज कंवर वगैरह प्रस्तुत किया। दिनांक 22.06.2006 को उक्त दावा को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी में भेजे जाने के आदेश दिये गये। दिनांक 03.08.2002 को उक्त पत्रावली उपखण्ड अधिकार उदयपुरवाटी की अदालत में पेश हुई। बरोज पेशी दिनांक 03.08.2002 को उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी का पद रिक्त था। पत्रावली की आदेशिका के मुताबिक दिनांक 03.08.2002

ADL

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं

को प्रकरण को दर्ज रिजस्टर किये जाने के आदेश होकर अग्रिम कार्यवाही के लिए तारीख पेशी 04.10.2002 नियत की गई। दिनांक 27.08.2001 को तत्कालीन सहायक कलेक्टर मुख्यालय झुन्झुनू की अदालत में अपीलान्टस के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करने का आदेश दिया। दिनांक 20.12.2003 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का उक्त दावा एक पक्षीय रूप से निर्णित कर बहक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 डिक्री किया गया। अपीलान्टस ने अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.12.2003 को अपास्त किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 जा.दी. दिनांक 17.11.2006 को जानकारी होने पर प्रस्तुत किया। अदालत मातहत ने अपीलान्टस के उक्त प्रार्थना पत्र को निर्णय दिनांक 18.10.2007 के द्वारा खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट संख्या 2 व 3 जो तत्समय नाबालिग थे के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित कर निर्णय व डिक्री पारित की गई थी। आदेश 32 नियम 3 सीपीसी में नाबालिग के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाह अमल में नहीं लाई जा सकती है अपितु ऐसी स्थिति होने पर न्यायालय नाबालिग के हितो के लिए अदालतीवली नियुक्त करने के लिए बाध्य है। विचारण न्यायालय ने इस पर कोई गौर नही कर विचाराधीन निर्णय से आदेश 9 नियम 13 का आवेदन खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 1987 पेज 456, आरआरटी 2014(2) पेज 881 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट संख्या 2 व 3 जो तत्समय नाबालिग थे के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित कर निर्णय व डिक्री पारित की गई थी।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

आदेश 32 नियम 3 सीपीसी में नाबालिग के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाह अमल में नहीं लाई जा सकती है अपितु ऐसी स्थिति होने पर न्यायालय नाबालिग के हितो के लिए अदालतीवली नियुक्त करने के लिए बाध्य है। विचारण न्यायालय ने इस पर कोई गौर नही कर विचाराधीन निर्णय से आदेश 9 नियम 13 का आवेदन खारिज करने में विधिक त्रुटि की है।

इस संदर्भ में माननीय राजस्व मण्डल ने आरआरडी 1987 पेज 456 में अभिनिर्धारित किया है कि **Civil Procedure Code, Order 9, Rule 13-Held[exparte decree against minor was correctly set aside where court had failed to appoint guardian ad-litem under Order 32, Rule 3-Court is bound to appoint a proper guardian ad-litem for a minor defendant.**

उपरोक्त विवेचन व न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय दिनांक 18.10.2007 एवं मुकदमा नम्बर 448/2002 बउनवानी भंवर कंवर बनाम सरोज कंवर आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.12.2003 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को जवाब, साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.01.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 26/12/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर